उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–1
संख्या– 64 /9–1–15–678सा/14
लखनऊ: 07 जनवरी, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा–37 के साथ पठित धारा–296 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगरपालिका/नगर पंचायत सभासद यात्रा भत्ता नियमावली, 2004 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तर प्रदेश नगरपालिका/नगर पंचायत सभासद यात्रा भत्ता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ 1– (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगरपालिका/नगर पंचायत सभासद यात्रा भत्ता (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2.) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों में लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम–2का संशोधन 2– उक्त नियमावली में स्तम्भ–1 में दिये गये नियम–2 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
2–उत्तर प्रदेश के नगर पालिकाओं/नगर पंचायतो के सभासद नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों की बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिमाह प्रति सभासद 200 रूपये (दो सौ रूपये) यात्रा भत्ता प्राप्त करेंगें जिसका वहन नगरपालिका / नगर पंचायत के स्रोतों से किया जायेगा।	2– उत्तर प्रदेश के नगरपालिकाओं/नगर पंचायतों के सभासद नगरपालिकाओं/ नगर पंचायतों की बैठक में भाग लेने के लिए प्रतिमाह प्रति सभासद 1000 रूपये (एक हजार रूपये) यात्रा भत्ता प्राप्त करेंगें,जिसका वहन नगर पालिका/नगर पंचायत के स्रोतों से किया जायेगा।

आज्ञा से,
/
श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को दिनांक 07 जनवरी, 2015 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग 4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 150 प्रतियां (हिन्दी एवं अंग्रेजी) शासन को प्रेषित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. निदेशक स्थानीय निकाय/पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक, स्थानीय निकाय उ0प्र0।
4. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक स्थानीय निकाय उ0प्र0 लखनऊ।
5. वेब मास्टर, नगर विकास विभाग उ0प्र0 शासन को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना की प्रति विभागीय साइट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाये।
6. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
7. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।